कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/कक्ष–4/ 1026 /भोपाल: दिनांक 13/6/03

प्रति

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश ।

विषय:–अग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ–इस कार्यालय का पत्र(1) क्रमांक /कक्ष–4/285 दिनांक 12–2–2001

(2) क्रमांक/कक्ष–4/ 922 दिनांक 18–6–2002

(3) क्रमांक/कक्ष–4/1247 दिनांक 20–8–2002

जैसा कि आप लोगों को मालूम हैं इस मद की राशि इस बार जिला बजट के साथ सम्मलित करके आवंटित की गई है । संलग्न सूची में वनमण्डलवार आवंटन पुनः संलग्न है । इस मद में उपलब्ध राशि में से 3 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास हेतु मुख्यालय स्तर पर रोकी जा रही है। इसका आवंटन मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) द्वारा वन विद्यालय में वन सुरक्षा के संबंध में कर्मचारियों एवं समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये किया जावेगा। संलग्न प्रपत्र में दर्शाई गई राशि 3 प्रतिशत कम करके गणना करते हुए आवंटित की गई है। गत वर्ष अग्नि सुरक्षा के लिये आवंटित राशि के उपयोग हेतु निर्देश दिये गये थे वह आदेश इस वर्ष भी लागू रहेगें । यह निर्देश दो बारा सूचित किये जाते हैं :–

1– वन मण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा योजना तैयार कर वन संरक्षक से अनुमोदित करायेगें । यह योजना कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरुप तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार की जावेगी ।

2– अग्नि सुरक्षा कार्य समितियों के माध्यम से कराया जावे । जहॉं समिति नहीं हैं अथवा समिति अग्नि सुरक्षा कार्य करने को तैयार नहीं होती, वहॉं अग्नि सुरक्षा कार्य विभागीय रुप से कराये जायें ।

3– वन मण्डलों को आवंटित राशि आपके वनमण्डल के वन क्षेत्र के रकबे के आधार पर दी गई है । वन वनमण्डलाधिकारी व्दारा उन्हें आवंटित राशि का उपयोग निम्न आधार पर किया जावेगा:–

3.1 आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत राशि वन मण्डल स्तर पर रोक कर वन मण्डल स्तर पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर किये जाने वाले व्यय में उपयोग की जावेगी ।

3.2 आवंटित राशि में से 2 प्रतिशत राशि प्रचार – प्रसार रोकी जावेगी जिसका उपयोग वनमण्डलाधिकारी व्दारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जनता में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरुकता लाने के लिये किया जावेगा ।

3.3 बजट का आवंटन जिले के वन मण्डलों के वन क्षेत्र के रकबे के आधार पर किया गया है।

3.4 क्षेत्रीय वन मण्डलो में सम्मिलित अभ्यारण्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावे । इन क्षेत्रों को आवंटन सामान्य वनक्षेत्रों की तुलना में दुगनी दर से दिया जावे। इन क्षेत्रों के लिये आपके द्वारा किये गये आवंटन की जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं इस कार्यालय को दिनांक 31–7–2003 के पूर्व अनिवार्यतः भेजी जावे ।

3.5 शासन मापदण्डों के अनुसार फायर लाइन कटाई व सफाई का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा समिति के माध्यम से कराया जाय तथा वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित व्ययदर से भुगतान समिति को किया जाय ।

3.6 शेष राशि समितियों को अग्नि सुरक्षा करने तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी । इस राशि का भुगतान समिति को अग्नि सीजन की समाप्ति उपरांत किया जावेगा यह भुगतान वनमण्डलाधिकारी द्वारा यह संतोष हो जाने के उपरांत ही किया जावेगा कि समिति के वन क्षेत्र में आग नहीं लगी है और यदि लगी है तो समिति द्वारा इस संबंध में पूरी सावधानी बरती गई है तथा आग लगने पर उसे बुझाने का त्वरित पूरा प्रयास किया गया है ।

3.7 समितियों को दी गई राशि के लेखा के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

4- वनों में आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण महुआ सीजन में वृक्षों के नीचे पत्तों को जलाना होता है । इस हेतु योजना बनाई जावे और वनों के बाहर व वन क्षेत्र के अन्दर महुआ के वृक्षों के नीचे पत्तों को साफ करवाने का अभियान चलाया जाये । कतिपय वनमण्डलों द्वारा महुआ के वृक्ष हितग्राहियों में आवंटित कर अग्नि सुरक्षा की गई जिसके उत्साहवर्धक परिणाम देखे गये हैं । आप लोग भी ऐसी व्यवस्था पर विचार करें ।

5- वनों की आग से सुरक्षा , वनों के संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । अतः इस कार्य को पूरी निष्ठा से अंजाम दिया जावे और इसमें वायरलेस और अन्य सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया जावे ।

6- इस वर्ष की भांति आगामी वर्षों में भी 5 प्रतिशत बीटों में अग्नि घटनाओं का Random सत्यापन किया जावेगा । इसलिये सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें कि अग्नि घटनाओं का सही निरूपण संकलित कर अभिलेख तैयार करें ।

आपको ज्ञात होगा कि अग्नि सुरक्षा राज्य शासन के साथ विभाग द्वारा संपादित लोक सेवा अनुबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है । अनुबंध की प्रतिलिपियाँ शीघ्र ही आपको भिजवाई जावेंगी । यदि किसी वन मण्डल/वृत्त में अनुबंध की पालना नहीं होगी तो इस के गंभीर परिणाम हो सकते हैं कृपया इसका ध्यान रखा जावे ।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय । कृपया ध्यान रखें कि आपको पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाये जाने के बावजूद भी यदि वनों की अग्नि से हानि होती है तो प्रत्येक स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये गंभीर परिणाम होंगे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अपर प्रधानमुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./...   भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । आपको बजट मद मांग संख्या 10-2406-0101-(2965)बिगड़े वनों का सुधार बाँस वनों सहित 004 अग्नि बचाव योजना के अन्तर्गत रूपये 36.00 लाख का आवंटन अग्नि सुरक्षा से संबंध प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/बजट-4/1188 दिनांक 3-8-02 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । कृपया व्यय की प्रगति से प्रत्येक माह सूचित करने का कष्ट करें ।

3- मुख्य वन संरक्षक (निगरानी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Sd/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल